

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2006-07/110।

दिन ५/१०/०६

संशोधन आदेश

इस विभाग के रामसंख्यक पत्र क्र ० एफ ४ (२३)लेखा/आकाशि/अनु/०६-०७/७४४ दिन २०.७.०६ के द्वारा वीणा मेमोरियल सेवा सोसायटी, गुलाब बाग, करोली के द्वारा प्रस्तावित वीपा मेमोरियल डिग्री महाविद्यालय, करोली के नाम से सत्र २००६-०७ में सामान्य क्षेत्र में कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त पूर्व में संचालित विषयों (इतिहास, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, संरक्षण, राजनीति विज्ञान एवं हिन्दी साहित्य) के अतिरिक्त निम्न विषयों की अनुमति भी प्रदान की जाती है:-

स्नातक स्तर पर कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त भूगोल, अर्थशास्त्र, वास्तुशिल्प, विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य।

५/१०/०६
(दामोदर शर्मा)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. उप सचिव (जे), मा० मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा(युप-४) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर, करोली।
8. अध्यक्ष/सचिव/मंत्री, सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
9. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सांख्यकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक(अनुदान) ५/१०/०६
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।